

प्रेस नोट

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा जनपद में घटित महिला सम्बन्धी अपराध के रोकथाम व संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिये गये दिशा निर्देश के अनुपालन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में थाना क्षेत्र में दिनांक 27/28.08.2020 की रात्रि में एक निजी संस्थान लच्छीपुर में चोरी की नियत से घुसे अज्ञात चोर द्वारा एक बुजुर्ग महिला को मारपीट कर घायल कर देने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ के साथ एक पुलिस टीम गठित किया गया था जिसके अनुपालन में आज दिनांक 29.08.2020 को मुखविर की सूचना पर उक्त घटना में संलिप्त वाछित अभियुक्त का धर्मशाला ओवर त्रिज के नीचे असुरन मोड़ के पास से समय करीब 13.00 बजे गिरफ्तार किया गया इस घटना के सम्बन्ध में थाना गोरखनाथ में दिनांक 28.08.20 को मु0अ0सं0 808/20 धारा 459/380/511 भादवि का पंजीकृत किया गया था विवचेना के दौरान साक्ष्य प्राप्त कर धारा 376 भादवि की बृद्धि की गयी।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता

आकाश बन्जारा पुत्र मादमा बन्जारा (माता) निवासी मानवा थाना गया गांव जिला काली कोट नेपाल उम्र करीब 26 वर्ष (अभियुक्त अपने पिता का नाम नहीं बता रहा हैं)

बरामदगी- Nil

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक-

दिनांक 29.08.2020 समय 13.00 बजे स्थान- धर्मशाला ओवर त्रिज के नीचे असुरन जाने वाले रास्ते पर

जिस अपराध में गिरफ्तार किया गया-

मु0अ0सं0 808/20 धारा 459/380/511/376 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मी

- 1.उ0नि0 शम्भू प्रसाद साहनी
- 2.हे0का0 रामकुमार
- 3.का0 उमेश प्रसाद